कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा

2020—2021

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध गांधी स्मारक
चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में वाहन पार्किंग स्टैण्ड
सुरक्षा व्यवस्था हेतु ई—निविदा
(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रू. 5000/—
(रूपये पॉच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक—34/2020—21

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई–निविदा विज्ञप्ति क 34/2020–21

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	26-10-2020 11.00 AM	16-11-2020 5.00 PM	
2	BID SUBMISSION ONLINE	26-10-2020 11.00 AM	16-11-2020 5.00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	26-10-2020 11.00 AM	17-11-2020 5.00 PM	
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	18-11-2020 12.30 PM	_	
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	18-11-2020 12.30 PM	_	
6	FINANCIAL BID OPEN	Information will be given separately	_	

ई–मेलः– jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662–242104
संपर्कः– 07662–242104, +91–9179705483, +91–9644695933, +91–8827730393,
डॉ. यत्नेश त्रिपाठी, +91–9425471040

निविदाकार को सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य है तथा यथा आवश्यक उन्ही दस्तावेजों की हार्डकॉपी दिनांक 17.11.2020 को सायंकाल 05. 00 बजे तक कार्यालय संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय में जमा कर सकते हैं।

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः–

1. धरोहर राशि रूपये 300000.00 (तीन लाख) ऑनलाईन जमा की रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)
3. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
4. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
6. निविदाकार का श्रम विभाग में पंजीकृत होने का वैध प्रमाण पत्र।
7. वित्तीय वर्ष, 2017–18 एवं 18–19 का आयकर रिटर्न जमा पावती।

8. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 10.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2018–19)
9. 100 रू. के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) नोटराईज्ड
10. निविदाकार को निविदा फार्म के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र (26.10.2020 के बाद जारी किया गया हो)

<u>वाहन पार्किंग स्टैण्ड सुरक्षा व्यवस्था हेतु नियम एवं शर्तें</u>

1. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय में वाहन पार्किंग स्टैण्ड सुरक्षा व्यवस्था हेतु ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://mptenders.gov.in/ पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट http://www.ssmcrewa.com में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करनें की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नही की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रू. 5000.00 (पांच हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नही है।
3. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।
4. **कृपया प्राईस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एंव स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।**
5. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये ***3,00,000/–(तीन लाख मात्र)*** ऑनलाईन जमा करनी होगी। अमानत राशि पर ब्याज देय नही होगा।
6. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एवं चिकित्सालय हित में निविदा शर्तो मे संशोधन करने का अधिकार होगा।
7. निविदाकार को निविदा फार्म के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 14.09.2020 के बाद का जारी चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. वाहन स्टैण्ड संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के केवल चार स्थानों पर ही लगाया जायेगा। 1. **नवीन बाह्य रोगी भवन 2. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय मुख्य भवन द्वार के सामने, 3. आकस्मिक चिकित्सा विभाग के सामने चिन्हित स्थलों पर 4. गांधी स्मारक चिकित्सालय के मुख्य भवन द्वार के सामने।** इन स्थानों के अलावा अन्य किसी भी स्थान मे अधोहस्ताक्षरी के स्वीकृति एवं निर्देशानुसार ही वाहन स्टैण्ड लगाया जा सकता है।
9. निविदाकार को वाहन सुरक्षा हेतु अस्थायी छाया का निर्माण (बांस, बल्ली एवं तिरपाल इत्यादि) लगाकर करना होगा।
10. निविदाकार को निर्धारित स्टेण्ड की जगह की साफ–सफाई व्यवस्था, सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

11. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के परिसर में प्रवेश स्थल पर प्रत्येक पार्किंग हेतु वाहन चालकों को हैन्ड हेल्ड से कम्प्यूटर जनित पर्ची जिसमें ठेकेदार का नाम, दिनांक, वाहन क्रमांक दर्ज हो देनी होगी, जिसका शुल्क वाहन के जाते समय निर्गम स्थल पर समयानुसार देय होगा। ऐंसी ही व्यवस्था कण्डिका क्र. 06 में चिन्हित स्थानों के लिए करनी होगी। कम्प्यूटराईज पर्ची देना अनिवार्य होगा। कम्प्यूटराईज पर्ची हेतु निविदाकार को कम से कम 05 नग हैण्डहेल्ड टिकट वैण्डिंग मशीन रखना होगा। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इसे अधीक्षक कार्यालय में दिखाना होगा।
12. निविदाकार वाहन स्टैण्ड का ठेका अन्य किसी भी व्यक्ति को नही दे सकेगें तथा उसे अपने कार्यकर्ताओं की डियूटी एवं नाम फोटोमय परिचय पत्र की सूची आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे देना होगा व स्टैण्ड के सामने **निर्धारित दर सूची का (बड़े अक्षरों में**) का बोर्ड प्रबंधन द्वारा चिन्हित 05 स्थलों पर 4X3 फुट की आकार में लिखकर टांगना होगा। कार्य पर लगाए गए कार्यकर्ताओं को कार्य के समय निर्धारित पोषाक मय परिचय पत्र के धारण करनी होगी जिसकी सूचना (ड्रेस की सूचना) इस कार्यालय को देनी होगी। लगाए गए कार्यकर्ताओं के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज न हो तथा किसी न्यायालय में प्रकरण लंबित न हो। यदि बाद में ऐंसा पाया जाता है तो इसके लिए निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. चिकित्सालय, चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारियों, चिकित्सकों, पोस्टमैनों एवं बाहर से डाक लाये हुये कर्मचारियों तथा पुलिस जो भर्ती रोगियों के साथ होगें, उनके द्वारा रखे जाने वाले वाहनों आदि से किराया नहीं लिया जावेगा। चिकित्सालय के लिए दवाई/सामग्री/ऑक्सीजन लाने वाले वाहनों से वाहन स्टैण्ड किराया नही लिया जावेगा।
14. वाहन स्टैण्ड 24 घण्टे खुला रहेगा। रखे हुये वाहनों मे से यदि कोई वाहन 24 घण्टे से अधिक समय तक नहीं उठाया जाता है तो उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं पुलिस स्टेंशन मे देना आवश्यक होगा।
15. वाहन स्टैण्ड की दिन प्रतिदिन की निगरानी एवं देखरेख संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा/उनके द्वारा नामित अधिकारी (वाहन प्रभारी/ड्यूटीरत आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी) द्वारा की जावेगी। निविदाकार को उनके निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। **संबंधित अधिकारी द्वारा आकस्मिक रूप से वाहन स्टेण्ड का निरीक्षण किया जावेगा निरीक्षण उपरांत रिपोर्ट अधीक्षक जी.एम.एच. को दी जावेगीं।**
16. निविदाकार से चिकित्सालय के कर्मचारी या जनता के बीच किसी भी प्रकार का यदि वाद–विवाद होता है तो अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
17. सफल निविदाकार को स्वीकृति निविदा राशि 12 मासिक किश्तों में जमा करना होगा। प्रथम मासिक किश्त की राशि ठेका प्रारंभ करनें के पूर्व अग्रिम राशि के रूप मे अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय में जमा करना होगा। तद्उपरान्त ही ठेका प्रारम्भ किया जा सकेगा। आगामी मासिक किष्तों की प्रतिमाह अग्रिम राषि अधिष्ठाता

चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् किस्त जमा न करने की स्थित में प्रतिदिन 200 रू. बिलम्व शुल्क अधिरोपित किया जावेगा। इसके बावजूद भी 01 माह तक निर्धारित राशि जमा न करने पर निविदा को निरस्त कर अमानती राशि राजसात कर ली जावेगी।

18. वाहन स्टैण्ड के लिये किराये की दरें निम्नवत निर्धारित की जाती हैं :–

– वाहन स्टैण्ड हेतु निर्धारित दरें जी.एस.टी. सहित (रूपये में) –

क्र.	वाहन शुल्क	एक बार	24 घंटे का पास बनवाने हेतु
1.	2.	3.	4.
1.	सायकल	निःशुल्क	निःशुल्क
2.	मोटर सायकल एवं स्कूटर	10/–	20/–
3.	तीन एवं चार पहिया वाहन	20/–	40/–

नोटः–

1.बिना 24 घंटे के पास के यदि बार–बार वाहन स्टेण्ड में लाया और वापस ले जाया जाता है, तब प्रत्येक बार का किराया कालम 3 अनुसार देय होगा। 24 घंटे हेतु पास बनवाने पर कॉलम नं. 04 अनुसार किराया देय होगा।

2. अस्पताल के अधिकारियों/कर्मचारियों/चिकित्सा छात्रों के लिए निःशुल्क टोकन जारी करना होगा।

19. बाह्य रोगी/आकस्मिक चिकित्सा विभाग तक मरीजों को लाने वाले (Drop off) वाहनों से किराया नही लिया जावेगा। जो वाहन केवल वाहन स्टैण्ड पर खड़े होगे उन्हीं से किराया लिया जावेगा।

20. निविदाकार सायकल, स्कूटर, मोटर आदि वाहनों पर पूर्ण सुरक्षा हेतु जो टोकन प्रदाय करेगा उस पर वाहन क्रमांक, टोकन नं., राशि, दिनांक, समय एवं निविदाकार का नाम हिन्दी मे अंकित होना अनिवार्य होगा। निविदाकार को दिये जाने वाले टोकन के नमूना की प्रति संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जी.एम.एच., रीवा के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। वाहन स्टेण्ड में खड़े होने वाले वाहनों के लिए टोकन/पास देना अनिवार्य होगा। वाहन मालिक को वाहन स्टैण्ड से वाहन ले जाते समय टोकन निविदाकार को अनिवार्यतः वापस करना होगा।

21. वाहन स्टैण्ड मे रखी जाने वाली साइकिलों, स्कूटरों, मोटरों आदि की पूर्ण जिम्मेदारी एवं सुरक्षा, निविदाकार की होगी तथा चिकित्सक स्टाफ एवं चिकित्सालय में अन्य कार्यरत कर्मचारियों के वाहन की सुरक्षा की भी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। इसके लिये निविदाकार द्वारा 24 घण्टे का टोकन पास भी देना होगा। वाहन स्टैण्ड में रखा हुआ वाहन चोरी होता है तथा उसका टोकन वाहन मालिक के पास उपलब्ध रहता है तो वाहन की कीमत निविदाकार को देनी होगी। इसके लिये यह कार्यालय किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। वाहन मालिक वाहन चोरी/क्षति होने की स्थिति में ठेकेदार

के विरूद्ध एफ.आई. आर. दर्ज कराने एवं अन्य कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

22. चिकित्सालय के प्रत्येक साइकल स्टैण्ड मे **रेट सूची दर के साथ मोटे एवं बड़े अक्षरों में** जिस पर दिनांक एवं समय अंकित होना जरूरी है आवश्यक रूप से निविदाकार को लगानी होगी। निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली की शिकायत होने पर यदि सत्य पाया गया तो ठेकेदार को प्रथम बार रू 10,000/– (दस हजार) का जुर्माना तथा दूसरी शिकायत प्राप्त होने पर रू. 15000.00 (पन्द्रह हजार) का जुर्माना एवं तीसरी शिकायत प्राप्त होनें पर ठेका निरस्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में अंतिम निर्णय अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का मान्य होगा।
23. निविदाकार को निविदा के साथ श्रम विभाग में पंजीकृत होनें का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सफल निविदाकार को ठेका अवधि में श्रम कानून नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पिछले दो वर्षो के आयकर रिटर्न जमा करनें की पावती की छायाप्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
24. सफल निविदाकार को निधारित मासिक किस्तों की राशि अग्रिम के रूप मे अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय मे नियमित रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। जमा करनें की सूचना संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक कार्यालय को भी देना अनिवार्य होगा।
25. यदि ठेकेदार द्वारा मासिक किराये की दर पर ऐसे वाहन कार एवं आटो खडे किये जाते हैं जिनके कोई परिजन अस्पताल में भर्ती नहीं रहते हैं ऐसी स्थिति पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा 20,000/– (बीस हजार) तक का जुर्माना निविदाकार के उपर सुरक्षा व्यवस्था में कमी मानते हुए लगाया जा सकता है।
26. कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
27. कार्य प्रारम्भ के पूर्व सफल निविदाकार को कार्य व्यवस्था से सम्बधित 1000 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के साथ अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा ।
28. निविदा अवधि समाप्ति के बाद जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नही होती है, तब तक निविदाकार को पूर्ववतः नियम, शर्तो एवं उसी दर पर निविदा कार्य को संचालित करना अनिवार्य होगा तथा इसके लिए निविदाकार बाध्य होगा।
29. सफल निविदाकार द्वारा लगाए गए कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की क्षति,दुर्घटना आदि के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा और न ही किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जावेगी । इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी ।
30. स्वीकृति निविदा स्वीकृति की तिथि से सामान्यतः एक वर्ष की समयावधि तक अथवा आगामी निविदा स्वीकृति होने तक प्रभावशील रहेगी।
31. वाहन पार्किंग में निविदाकार के संलग्न कर्मचारी किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नही करेंगे, नशे का का सेवन नही करेंगे, यदि करते हुए या किए हुए पाये जाते हैं, तो संबंधित कर्मचारी एंव निविदाकार स्वयं वैधानिक कार्यवाही के भागी होंगे एवं राशि रू. 15000.00 तक का जुर्माना निविदाकार को किया जा सकेगा।

32. वाहन सुरक्षा व्यवस्था के ठेके की वार्षिक न्यूनतम राशि रू. **20.55** लाख **+18% GST** (रू 3.70 लाख) अतिरिक्त होगी। इससे कम राशि की निविदा स्वीकार योग्य नही होगी।
33. किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति मे न्यायालय रीवा होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.प्र.

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षर कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें । पृष्ठ क्र. दर्शायें		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें।	
		हां	नही	हां	नही
1.	धरोहर राशि रूपये 300000.00 (तीन लाख) ऑनलाईन जमा की रसीद।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)				
3.	फर्म / संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
4.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।				
5	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
6	निविदाकार का श्रम विभाग में पंजीकृत होने का वैध प्रमाण पत्र।				
7.	वित्तीय वर्ष, 2017–18 एवं 18–19 का आयकर रिटर्न जमा पावती।				
8.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 10.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2018–19)				
9.	100 रू. के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) नोटराईज्ड				
10.	निविदाकार को निविदा फार्म के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र (26.10.2020 के बाद जारी किया गया हो)				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील एंव मो. ....

के परिसर मे वाहन स्टैण्ड पार्किंग व्यवस्था हेतु

दर सूची

मैं/हम (फर्म) ....गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा के परिसर मे वाहन सुरक्षा हेतु नीचे अंकित दर से ठेके का कार्य लेना चाहता हूँ।

वार्षिक रूपये .... शब्दों में वार्षिक रू. ....

प्राइस बिड केवल आनलाईन ही स्वीकार की जावेगी।

(रिजर्व प्राईस रू. 20.55 लाख (बीस लाख पचपन हजार)+18 प्रतिशत जी.एस.टी.(रू 3.70 लाख) अतिरिक्त

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

–घोषणा–पत्र–

(100/– रूपये के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मै/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मै/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदाकार्य के लिये सक्षम हूँ/है।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदा कार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा चिकित्सालयों मे वाहन स्टैण्ड सुरक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर उससे जो नुकसान होगा, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।
6. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
7. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है ।
8. मैं अपने कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर रीवा द्वारा घोषित अकुशल दर पर भुगतान करूँगा।
9. मेरी/हमारी संस्था के विरूद्व न तो एफ.आई.आर. दर्ज है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्व घोषित किया गया है।
10. मैं बालश्रम अधिनियम/श्रम कानून के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करूँगा।
11. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने पर में स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

दिनांकः

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम– ....

पूरा पता– ....

फोन एवं मोबा. न.– ....